भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

29 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

629. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इस उत्पादन में विशेषकर महाराष्ट्र की भूमिका सहित तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस्पात क्षेत्र की संवृद्धि को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र में कोई नई नीतियां लागू करने अथवा पहल करने का इरादा रखती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी नई नीतियों अथवा पहलों का स्थानीय उद्योगों और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन के साथ निम्नानुसार है और यह इस अवधि के दौरान हुई वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष	**कच्चे इस्पात का उत्पादन**	
	मात्रा (मिलियन टन में)	**% बदलाव**
2021-22	120.29	16.2
2022-23	127.20	5.7
2023-24	144.30	13.4
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति		

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

जारी....2/-

(ख) और (ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करके एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने देश में इस्पात क्षेत्र के विकास को सहायता देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देना और निवेश संबंधी विस्तार:-

क. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ किया गया। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 24 मिलियन टन का डाउनस्ट्रीम क्षमता निर्माण और 14,760 का प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है।

ग. केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024-25 में घोषित 11,11,111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय ने अवसंरचनात्मक विस्तार पर बल दिया है, जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

ii. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत में कमी:-

क. फैरो निकेल जो एक कच्चा माल है पर आधारभूत सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना और इसे शुल्क मुक्त बनाना।

ख. बजट 2024 में फैरस स्क्रैप पर शुल्क संबंधी छूट का विस्तार 31 मार्च, 2026 तक करना।

ग. घरेलू स्तर पर उत्पन्न लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

iii. आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:-

क. घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों पर विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

ख. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाकर इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करना। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम प्रयोक्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की स्थिति के अनुसार, कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस

जारी...3/-

इस्पात को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए है।

iv. अन्य उपाय:-

क. शीघ्र सांविधिक मंजूरियों के लिए मंत्रालयों और राज्यों तथा अधिक अनुकूल शर्तों पर इस्पात विनिर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करना।

सरकार के उपायों के परिणामस्वरूप, देश में इस्पात क्षमता वर्ष 2020-21 में 144 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 179.5 मिलियन टन हो गई है, जिसने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में स्थानीय उद्योगों के विकास में योगदान दिया है।

******

अनुलग्नक-I

अनुलग्नक - कच्चा इस्पात

राज्य	कच्चे इस्पात का उत्पादन ('000 टन में)		
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
आंध्र प्रदेश	7096	6288	6776
अरुणाचल प्रदेश	69	40	46
असम	108	66	110
बिहार	529	576	553
छत्तीसगढ़	14900	15876	19119
दादरा और नगर हवेली	253	318	321
दमन और दीव	46		
दिल्ली	5	6	8
गोवा	407	407	445
गुजरात	9,189	8,628	10595
हरियाणा	941	833	899
हिमाचल प्रदेश	1265	1286	1372
जम्मू और कश्मीर	146	162	151
झारखंड	17094	18164	19,321
कर्नाटक	13045	13393	13805
केरल	325	379	414
मध्य प्रदेश	569	644	909
महाराष्ट्र	11370	13,810	15678
मेघालय	56	73	62
ओडिशा	23241	23398	25740
पुदुच्चेरी	215	378	486
पंजाब	3663	4063	4919
राजस्थान	621	681	891
तमिलनाडु	2633	3481	3635
तेलंगाना	1464	1810	2274
त्रिपुरा	17	12	17
उत्तर प्रदेश	1197	1442	1868
उत्तराखंड	991	911	902
पश्चिम बंगाल	8836	10073	12985
कुल	120293	127197	144299

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति